न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक –एक/2017 निगरानी R 924-I-17

चन्द्रभान पुत्र दशरथ यादव
ग्राम कुंवरपुरा तहसील टीकमगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरुद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ़
2– हरचरण लुहार पुत्र धरमदास निवासी ग्राम मजना तहसील व जिला टीकमगढ़ ---असल अनावेदकगण
3– श्रीमता तराबुन निशा पत्नि ए.एच.सिद्दीकी निवासी रजा नगर कालोनी मउचुंगी नाका तहसील व जिला टीकमगढ़
4– अर्जुन लुहार (निःसंतान फोत) पुत्र धरमदास लुहार निवासी ग्राम मजना तहसील व जिला टीकमगढ़

---तरतीबी अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 – अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 85/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 9–8–2016 **के विरुद्ध**)

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय,

यह कि आवेदक व्दारा तरतीबी अनावेदक **कमांक** 3 से ग्राम मजना खास स्थित भूमि सर्वे कमांक 183/1 रकबा 1.201 हैक्टर तथा सर्वे कमांक 183/2 रकबा 0.607 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1–808 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि लिखा गया है) पॅजीकृत विकय पत्र दिनांक 7–2–2015 से कय किया। कय उपरांत तहसील न्यायालय व्दारा केता आवेदक का भूमिस्वामी स्वत्व पर नामान्तरण किया गया।

यह कि वादोक्त भूमि से असम्बद्ध व्यक्ति ने अपर कलेक्टर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–924–एक / 2017 जिला–टीकमगढ़

चन्द्रभान विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री जी.पी. नायक अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 85 / बी–121 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19	